

परियोजना का नाम— मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि. वि. को हस्तान्तरण।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण —पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.957 हे. सिविल/ वन पंचायत भूमि प्रस्तावित है। स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X-3/2011 /8(21)/2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/X-3/2011/8 (21) /2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल /वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) ख, ग व ड में दर्ज कागजात है। एवं वन भूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

म. चमोली
रा.सं. 866/X-3/2011 /8(21)/2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/X-3/2011/8 (21) /2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल /वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) ख, ग व ड में दर्ज कागजात है। एवं वन भूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

अमोन
पटवारी
सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

उप जिलाधिकारी
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली

बन्नीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर